प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –42/2023

अनवान : –

1. प्रकट सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बहनीबागा तहसील व जिला मानसा पंजाब।

–वादी

बनाम्

1. रणजीत सिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी बहनीबागा तहसील व जिला मानसा पंजाब।
2. गुरमीत कौर पत्नी स्व0 जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बहनीबागा तहसील व जिला मानसा पंजाब।
3. सिमरजित कौर पुत्री स्व0 जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बहनीबागा तहसील व जिला मानसा पंजाब।
4. विरपाल कौर पुत्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बहनीबागा तहसील व जिला मानसा पंजाब।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री कुलदीप सिंह खुडिया **वादी**
2. श्री चन्द्रशेखर अधिकवक्ता प्रतिवादी

निर्णय **दिनांकः 05.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 86/82 की कुल 9.8670 हैक्ट0 भूमि में से 14/39 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पड़दादा मुख्त्यारसिंह के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी के दादा रणजीत सिह प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद भूमि है। प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदार होने के कारण अकेले अपने नाम भूमि दर्ज करवा ली। जबकि वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ उक्त भूमि में बहिब जन्मजात हक हिस्सा है। वादी इसी अनुसार अपने हक हिस्सा की घोषणा न्यायालय से करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीया स0 2 ता 3 जो की वादी की बहिन एवं माता है एवं प्रतिवादी स0 1 वादी का दादा तथा प्रतिवादी स0 4 वादी की बुआ है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादी काबिज है एवं खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक इस्तदुआ डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 30 एनटीआर खाता स0 86/82 सम्वत 2070–2073 ईएक्सपी–1, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक जसविन्द्र सिंह ईएक्सपी–2, शपथ पत्र /सदस्य प्रमाण पत्र ईएक्सपी–3 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 86/82 की कुल 9.8670 हैक्ट0 भूमि में से 14/39 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ/सदस्य प्रमाण पत्र ईएक्सपी–1 व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:41 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति [illegible] द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार [illegible] जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 86/82 की कुल 9.8670 हैक्ट0 भूमि में से 14/39 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व

रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 5/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–रामसरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –42/2023

अनवान : –

1. प्रकट सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बहनीबागा तहसील व जिला मानसा पंजाब।

–वादी

बनाम्

1. रणजीत सिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी बहनीबागा तहसील व जिला मानसा पंजाब।
2. गुरमीत कौर पत्नी स्व0 जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बहनीबागा तहसील व जिला मानसा पंजाब।
3. सिमरजित कौर पुत्री स्व0 जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बहनीबागा तहसील व जिला मानसा पंजाब।
4. विरपाल कौर पुत्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बहनीबागा तहसील व जिला मानसा पंजाब।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 42 सन 2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है कि रोही मौजा चक 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 86/82 की कुल 9.8670 हैक्ट0 भूमि में से 14/39 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 5/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष –2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:41 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–रामसरा